

बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

सं०-प्र०३/विविध-नि०-५२/०८

खाद्य, पटना/दिनांक-

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन की धारा-७३ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-४४६५ दिनांक- १७.०७.२०१४ द्वारा गठित निदेशक पर्वद के पुनर्गठन में संशोधन करते हुए निम्नांकित रूप से पुनर्गठित किया जाता है:-

<u>क्र०सं०</u>	<u>नाम एवं पदनाम</u>	<u>नियुक्ति के पद</u>
१	श्री अमृत लाल मीणा, भा० प्र० से० प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना	निदेशक
२	श्री एस० एम० राजू, भा० प्र० से० सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना	निदेशक
३	श्री हुकुम सिंह मीना, भा० प्र० से० सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।	निदेशक
४.	श्री अरविन्द कुमार सिंह, भा० प्र० से० प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना	निदेशक
५.	श्री मोहन प्रसाद, बि० प्र० से० निदेशक -सह- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना	निदेशक

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
(विधु भूषण चौधरी)  
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- प्र0-3/विविध नि0-52/08- 9203

खाद्य, पटना/दिनांक- 03.12.14

प्रतिलिपि- प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन के उपरांत उक्त गजट की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

Om  
21/12/14

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- प्र0-3/विविध नि0-52/08- 9203

खाद्य, पटना/दिनांक- 03.12.14

प्रतिलिपि- सभी निदेशकगण/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Om  
21/12/14

सरकार के उप सचिव ।